

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या-3प/मु०मं०नि०यो०-19-57/2019/5464 प०रा०, पटना, दिनांक-16/05/2023
विषय:- पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन एवं रख-रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के अतिमहत्त्वकांक्षी सात निश्चय योजना के तहत पंचायती राज विभाग अंतर्गत राज्य के गैरगुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में "हर घर नल का जल" योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के कुल 28 जिलों के कुल 58003 वार्डों के 65355 योजनाओं में उक्त पेयजलापूर्ति योजना का सतत् संचालन एवं रख-रखाव दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के वित्तीय दायित्वों की पूर्ति 15वें वित्त आयोग, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद में पंचायती राज विभाग को प्राप्त बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जा रहा है।

2. पंचायती राज विभाग के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत पेयजलापूर्ति योजनाओं का सतत् संचालन एवं रख-रखाव किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, उन्हें पेयजलापूर्ति योजना की विशिष्टताओं के ज्ञान का सर्वथा अभाव रहता है। जिनके माध्यम से अनुरक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना कठिन होता है। उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग के द्वारा पेयजलापूर्ति योजना के Real Time Monitoring हेतु IOT Device सहित पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल को विकसित करते हुए नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था स्थापित की गयी है, दिनांक-18 अप्रैल, 2023 को 96.29% पेयजल योजनाएँ क्रियाशील हैं। पुनः पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से केन्द्रीयकृत जनशिकायतों (CGRC) के निष्पादन की व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया है।

लगातार.....

3. ज्ञातव्य है कि कठिन भौगोलिक संरचना, भूगर्भीय जल स्तर बहुत नीचे होने एवं पथरीले ग्रामीण वार्ड क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तकनीकी विशिष्टता आधारित परामर्श एवं पर्यवेक्षण में पेयजलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन को कार्य रूप दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पेयजलापूर्ति योजनाओं से संबंधित सभी अवयवों के लिए तकनीकी विशिष्टता आधारित प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला एवं सक्षम अभियंत्रण संगठन सेवा कार्यरत है।

4. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पेयजल योजनाओं के सतत् संचालन एवं रख-रखाव को पेयजल के लिए विशेषज्ञ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया ताकि उसके द्वारा समय पर क्लोरीनेशन एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई की जा सके।

पेयजलापूर्ति योजना के सतत् संचालन एवं रख-रखाव हेतु अनुरक्षण नीति अलग-अलग होने के कारण एकरूपता का अभाव पाया गया है। जिसके आलोक में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों के 67355 जलापूर्ति योजनाओं को सतत् संचालन एवं रख-रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की गयी:-

(i) योजनाओं का हस्तांतरण आरंभ करने के पूर्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सभी तैयारियाँ कर ली जाएगी एवं उनके द्वारा निर्धारित तिथि से हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

(ii) पंचायती राज विभाग द्वारा अपनी योजनाओं का अवयववार स्थिति की विवरणी यथाशीघ्र तैयार की जाएगी तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं का संयुक्त निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति का संयुक्त प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

(iii) तत्पश्चात् पूर्ण एवं पूरी तरह चालू योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को As is where is basis पर हस्तांतरित किया जाएगा।

(iv) वर्तमान में बंद/आंशिक चालू योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा चालू कर हस्तांतरित किया जाएगा एवं अपूर्ण योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्ण कर चालू किया जाएगा। तत्पश्चात् इन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

लगातार.....

(v) पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में अपनी योजनाओं का संचालन एवं मरम्मती एवं संपोषण पर वार्षिक ₹30,000/- प्रति जल-नल योजना में (अनुरक्षकों को मानदेय सहित) प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है। उपरोक्त राशि राज्य वित्त आयोग की अनुरक्षण राशि से सीधे बजटीय उपबंध के माध्यम से एक मुश्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मानक के अनुरूप संचालन एवं मरम्मति संपोषण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। इसके लिए वित्त विभाग से अतिरिक्त उद्व्यय उपलब्ध कराने हेतु अलग से प्रस्ताव दिया जाएगा।

(vi) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग की योजनाओं के मरम्मती, संपोषण आदि का कार्य ग्रहण करने की स्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5. पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित सभी पेयजलापूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन एवं रख-रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को संयुक्त निरीक्षण के उपरांत As is where is (जैसी स्थिति में अभी है) के आधार पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। कंडिका-4(v) एवं 4(vi) पर दोनों विभागों द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

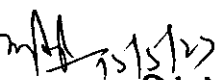
6. विभागीय स्तर से पेयजलापूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आपसी समन्वय हेतु समय-समय पर दिशा-निदेश जारी किया जा सकेगा।

इस प्रस्ताव पर दिनांक-12/05/2023 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।


(मिहिर कुमार सिंह)

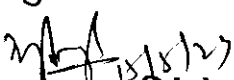
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-57/2019/5464.पं०रा०, पटना, दिनांक-16/05/2023
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-57/2019/5464.पं०रा०, पटना, दिनांक-16/05/2023
प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

लगातार.....

ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-57/2019/5464 पं०रा०, पटना, दिनांक-16/05/2023
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभाग के सभी पदाधिकारियों तथा
सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

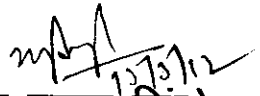
ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-57/2019/5464 पं०रा०, पटना, दिनांक-16/05/2023
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को
बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियाँ पंचायत
राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-57/2019/5464 पं०रा०, पटना, दिनांक-16/05/2023
प्रतिलिपि-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

५